मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उपक्षेत्र नवापारा, छाल जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन 55.850 हे., आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 24.09.2020 को किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्तावित छाल ओपन कास्ट माइनिंग साइट हेतु चयनित 55.850 हे. Deemed Forest का स्थल निरीक्षण दिनांक 24.09.2020 को एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया उक्त राजस्व वनक्षेत्र की श्रेणी में Classified है। उक्त राजस्व वनक्षेत्र में वर्ष 2003–04 में मनरेगा योजना के अंतर्गत सॉगोन रोपण कार्य किया गया था। परन्तु रोपण Succesful नही है परन्तु साल का अच्छा Eastablished Young Crop है, इसके साथ ही साजा, धावड़ा, तिन्सा, महुआ, आंवला तथा चार प्रजाति मुख्य Crop के रूप में पायी गई है, वन सघनता 0.6 से 0.7 के मध्य है। क्षेत्र Almost flat है, Mining Plan के अनुसार उक्त क्षेत्र माईनिंग के लिए उपयोग करने की योजना है। अतः पारिस्थितिक तंत्र को पुर्नस्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के विदोहन के पश्चात् Top Soil जो मुख्यतः साल प्रजाति को promote कर रही है, Soil एवं अन्य Debris पर पुनः साल के साथ Stock में उपलब्ध स्थानीय प्रजाति जैसे – साजा, धावड़ा, महुआ, चार इत्यादि प्रजाति का रोपण प्रस्तावित हो तथा backfill को पुनः वर्तमान वनक्षेत्र के रूप में स्थापित किये जाने पर वन्यप्राणी या अन्य पारिस्थितिकीय घटकों पर विपरीत प्रभाव नही होगा। इस क्षेत्र से होकर Perennial नाला इत्यादि नही हैं। अतः वन एवं वन्य प्राणियों पर होने वाले विपरीत प्रभावों को कम करते हुए वर्णित सुझाव के अनुसार Deemed forest site का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान के 10 किमी. परिधी अंतर्गत तेन्दुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है, अतः उक्त क्षेत्र में हाथी, भालू एंव अन्य वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है, प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य विशेष रूप से किया जाना आवश्यक है एवं इन क्षेत्रों में वन्यप्राणी मानिटरिंग हेतु वन्यप्राणी सुरक्षा मानिटरिंग व्यवस्था लागू करना आवश्यकता है, यह कार्य वन्यप्राणी योजना अंतर्गत प्रावधानित कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अनिल सोनी, (भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर